

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2356/2011/सिरोही

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-तृतीय, सिरोही

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स यादव मेडिकल स्टोर
सिरोही

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री आर. के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक: 26/5/17

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, वृत्त-सिरोही (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 70/आरवैट/सिरोही/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.2010 के द्वारा अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रु. 5000/- आरोपित की है, को घटाकर रु. 500/- किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007-08 के बिक्री विवरण पत्र 10/10ए/11 विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 शास्ति आरोपित करने हेतु पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त शास्ति रु. 5000/- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित की गई है। उक्त आरोपित शास्ति से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति रु. 5000/- से घटाकर रु. 500/- रखी है, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 12.03.2010 का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति रु. 5000/- से घटाकर रु. 500/- रखा गया है तथा शेष शास्ति रु. 4500/- को अपास्त करने के लिए कोई निष्कर्ष अपने आदेश में दिया गया है इसलिए उनका आदेश अनुचित एवं अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय

अधिकारी का आदेश विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय माया रानी पुंज बनाम कमिश्नर आफ इनकम टैक्स, देहली के तीन सदस्यीय पीठ के निर्णय 65 एस टी सी 416 को कथन किया कि उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणीयों विलम्ब से प्रस्तुत करने पर आरोपित शास्ति को उचित बताया। उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अपील सुनवाई के समय कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007-08 के बिक्री विवरण पत्र 10/10ए/11 विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 शास्ति आरोपित करने हेतु पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त शास्ति रु. 5000/- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त शास्ति रु. 5000/- से घटाकर रु. 500/- यथावत रखते हुए शेष शास्ति को अपास्त किया है।

हस्तगत प्रकरण में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व अधिनियम की धारा 58 को उद्धरित किया जाना समीचीन है:-

"58 Penalty for failure to furnish return - Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorised by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed to furnish prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty -

3A (i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees ten per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate twenty percent of the tax so assessed; and


(ii) in all other cases, a sum equal to rupees five per day subject to a maximum limit of rupees five hundred, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष दिया है कि वार्षिक विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना मानते हुए अधिनियम की धारा 20(1) सपठित धारा 17(1) के अन्तर्गत मासिक कर दाता की श्रेणी में नहीं मानते हुए और अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तिमाही के लिए रु.

500/-की शास्ति को यथावत रखते हुए रू. 4500/-की शास्ति को अपास्त किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि उन्होंने विभागीय प्रतिनिधि की ओर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के सारगर्भित अंश को उद्धरित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। फलतः विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य